

# न्यायालय, अंचल अधिकारी, अनगड़ा, राँची।

अतिक्रमण वाद सं०- 02/2021-22

(झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा-3 के अधीन)

## आदेश

21-6-2021  
उपायुक्त, राँची के आदेश पत्रांक- 3313(ii)/रा०, दिनांक- 26.12.2020, पत्रांक- 1344(ii)/रा०, दिनांक- 19.03.2021 द्वारा गठित टीम तथा कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल डैम साइड धूर्वा, राँची के पत्रांक- 419 दिनांक- 12.06.2020, पत्रांक- 367, दिनांक- 02.06.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, राँची के पत्रांक- 555, दिनांक- 24.06.2021 के आलोक में संबंधित राजस्व-उप-निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन एवं जिला भू- अर्जन कार्यालय से प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा गेतलसुद डैम परियोजना में अर्जित भूमि पर स्थल जाँच कर अतिक्रमित भूमि तथा अतिक्रमणकर्ता को चिन्हित करते हुए प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इस वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

## भूमि एवं अतिक्रमणकर्ता का विवरण

अतिक्रमणकर्ता का नाम

भूमि का विवरण

	मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा
1. रामा लोहार, पिता- स्व० हुरुसा लोहरा	महेशपुर	38	650	40' X 21' X 7' एस्वेस्टस शीट मकान 29' X 20' X 7' एस्वेस्टस शीट मकान
2. स्मल करमाली	महेशपुर	38	650	30' X 17' X 7' एस्वेस्टस शीट मकान
3. ललिता देवी, पति- स्व० राजेन्द्र	महेशपुर	38	650	29' X 8' X 7' एस्वेस्टस शीट मकान 2' X 20' X 7' एस्वेस्टस शीट मकान
4. राजेन्द्र लोहार	महेशपुर	38	651, 652	29' X 20' X 8' एस्वेस्टस शीट मकान
5. विरसा मुण्डा	महेशपुर	3	649	22' X 37' X 8' खपरा मकान 27' X 18' X 7' खपरा मकान
6. मगरा मुण्डा	महेशपुर	03	649	42' X 22' एस्वेस्टस शीट मकान

सभी निवास ग्राम- महेशपुर, करमटोली मोहल्ला, थाना- अनगड़ा, जिला- राँची।


गठित टीम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जल पथ प्रमण्डल के द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार उपर्युक्त वर्णित भूमि झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम XV वर्ष 1956) की धारा 2 की उप-धारा (3) में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। अतिक्रमणकर्ता को अपना लिखित पक्ष रखने हेतु अधिनियम की धारा- 3 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में नोटिस निर्गत की गई। न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि में अतिक्रमणकर्ता


उपरिथत होकर अपना पक्ष रखा, परन्तु सुनवाई में उपरिथत अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अपने दावे के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतिक्रमणकारियों को पुनः समुचित अवसर देने के लिए द्वितीय सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई, उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः राजस्व-उप-निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्राप्त प्रतिवेदन, कार्यापालक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता जल पथ प्रमण्डल, राँची के कार्यालय से गेतलसुद डैम परियोजना अन्तर्गत अर्जित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने संबंधी प्राप्त पत्र तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित भूमि झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 (बिहार अधिनियम XV वर्ष 1956) की धारा 2 की उप-धारा (5) में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि पाया गया है। सुनवाई एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा जल पथ प्रमण्डल से प्राप्त पत्र के आलोक में गेतलसुद डैम/ जलाशय के लिए अर्जित सार्वजनिक भूमि पर चिन्हित किए गए अतिक्रमण को झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जाता है। अधिनियम 2000 (1956) की धारा- 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक- 06.07.2021 तक अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस निर्गत की गई।

अभिलेख दिनांक- 07.07.2021 को उपस्थापित करें।


लेखापित एवं संशोधित।


  
अंचल अधिकारी,  
अनगड़ा, राँची।

  
अंचल अधिकारी,  
अनगड़ा, राँची।

07.7.2021

अभिलेख उपस्थापित। किसी भी अतिक्रमणकारियों के द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने संबंधी लिखित सूचना न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक- 26.07.2021 की तिथि निर्धारित की जाती है। इस कार्य हेतु अंचल निरीक्षक, संबंधित राजस्व-उप-निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल नाजीर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।


  
अंचल अधिकारी,  
अनगड़ा, राँची।

  
अंचल अधिकारी,  
अनगड़ा, राँची।


2021

राजस्व-उप-निरीक्षक, अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक एवं कनीय अभियन्ता जल पथ प्रमण्डल, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त चिन्हित अतिक्रमण को दिनांक- 26.07.2021 को प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल एवं जल पथ प्रमण्डल, राँची के द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों के उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन अभिलेख में अभिलेखबद्ध है। उक्त के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
27/07/21

अंचल अधिकारी  
अनगड़ा राँची

  
27/07/21

अंचल अधिकारी  
अनगड़ा राँची